राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
National Institute of Fashion Technology
NIFT Campus, Chheb, Kangra, Himachal Pradesh – 176001

निफ्ट कैंपस, छेब, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश - 176001
Phone No. 01892-260872-5, Fax No. 01892-263872
फोन नंबर 01892-260872-5, फैक्स नंबर 01892-263872

रुपए 2000/-

मेस/कैंटीन सेवाओं के लिए ई-निविदा दस्तावेज

निफ्ट (कांगड़ा कैंपस)

निफ्ट कैंपस, छबी, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-176001

निविदा प्रक्रिया के लिए समय सारणी:

आधिकारिक वेबसाइट पर निविदा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख	18/06/2019
निविदा दस्तावेज की बिक्री शुरू करने की तारीख	18/06/2019
निविदा दस्तावेज की बिक्री की अंतिम तारीख	18/07/2019 को 14:00 बजे
विधिवत भरी गई निविदा की प्राप्ति की अंतिम तारीख	18/07/2019 को 16:00 बजे
तकनीकी बोलिया खोलने की तारीख और समय	18/07/2019 को 16:30 बजे
वित्तीय बोलियों की तारीख और समय	तकनीकी रूप से योग्य निविदाकर्ताओं को अधिसूचित किया जाएगा

टिप्पणी: इस निविदा दस्तावेज में 29 पृष्ठ (कुल संख्या) हैं और निविदाकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करें।

विषय सूची

क्र. स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
I.	प्रस्तावना	3
2.	निविदा आमंत्रण सूचना	3
3.	मेस/कैंटीन ठेकेदार के लिए कार्य-क्षेत्र	6
4.	सामान्य नियम और शर्तें	8
5.	पात्रता शर्तें	11
6.	निविदा प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश	12
7.	वैधानिक नियम और शर्तें	13
8.	ठेकेदार के दायित्व	16
9.	ठेकेदार द्वारा वचन-पत्र	19
10.	तकनीकी बोली का प्रपत्र	21
11.	वित्तीय बोली का प्रपत्र	26

1. <u>प्रस्तावना</u>

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा 1986 में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना की गई थी जिसे फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान के संवर्धन और विकास के लिए 2006 (निफ्ट अधिनियम 2006) में संसद अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक दर्जा दिया गया है। निफ्ट 16 केंद्रों के अपने नेटवर्क के माध्यम से देश भर में फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करता है। यह डिजाइन और प्रौद्योगिकी में चार वर्ष के स्नातक-पूर्व (यूजी) कार्यक्रम, डिजाइन, फैशन प्रबंधन और फैशन प्रौद्योगिकी में दो वर्ष के स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रम और फैशन के क्षेत्र में पेशेवर और छात्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पावधि शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करता है। निफ्ट का नई दिल्ली में मुख्यालय है, जिसके कैंपस बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर, कांगड़ा, कन्नूर, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, पटना, रायबरेली, शिलांग और श्रीनगर में स्थित हैं।

<u>संबंधित निफ्ट कैंपस की प्रस्तावना के लिए एक पैरा</u>

निफ्ट, कांगड़ा कैंपस कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश (निफ्ट कैंपस, छब, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-(176001) में स्थित है। इस समय इस संस्थान में लगभग 600 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इस संस्थान में लगभग 60 अधिकारी/संकाय और कर्मचारी कार्यरत हैं।

2. <u>निविदा आमंत्रण सूचना</u>

निफ्ट, कांगड़ा केंद्र निफ्ट कांगड़ा कैंपस, छेब, कांगड़ा, एचबी-176001 में छात्रों और कर्मचारियों को कैंपस फूड एंड बेवरेजेज उपलब्ध कराने के लिए मेस/कैंटीन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी के चयन के लिए "दो बोली प्रणाली" के तहत सीलबंद ई-निविदाएं आमंत्रित हैं।

निविदा का विवरण नीचे दिया गया है:-

क. सेवाओं का विवरण: निफ्ट कांगड़ा कैंपस, छेब, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-176001 में मेस/कैंटीन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी का चयन।

ख. बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय: 18/07/2019 16:00 बजे

ग. बोली खोलने की तारीख और समय:

i. तकनीकी बोली: 18/07/2019 16:30 बजे (निविदाकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में

ii. वित्तीय बोली - तकनीकी बोली के मूल्यांकन के बाद

iii. बोली की वैधता : वित्तीय बोली खोलने की तारीख से 90 दिन

घ. पत्राचार का पता: निदेशक, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट कांगड़ा कैंपस, छाबड़ा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश- 176001

इस निविदा के लिए "**दो बोली प्रणाली**" अपनाई जाएगी। निविदाकार को सीलबंद लिफाफे में आवश्यकता के अनुसार निविदा की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने का उचित ध्यान रखना चाहिए। प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन निविदा दस्तावेज में निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। निफ्ट बोलियों को खोलने के बाद किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं करेगा और निविदा शर्तों के अनुरूप नहीं प्राप्त बोलियां अस्वीकार की जाएंगी। इसलिए, बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा

दस्तावेज की अपेक्षाओं के अनुसार अपनी बोलियां पूरी करें, जिसमें बोली मूल्यांकन मानदंडों के सभी खंडों, सामान्य निबंधन और शर्तों और कार्य अपेक्षाओं के दायरे के अनुपालन आदि के लिए उनकी स्वीकृति निर्दिष्ट की गई है।

ई-निविदा केवल आधिकारिक ई-निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत की जाए। यदि किसी अन्य रूप में प्रस्तुत की जाती हैं तो इसे सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(क) □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□-□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ https://nifttenders.eproc.in □□ 18.06.2019 □□ 18.07.2019 को □□□□ 04.00 □□ □□□ □□□□ □□□□□। □□□□□ □□□□□□□ https://nifttenders.eproc.in / http://www.nift.ac.in □□ "निविदा" □□□□ □□ निविदा अवलोकनार्थ □□ □□□□□□ □□□□

(ख) इस निविदा के लिए आवेदन वेबसाइट https://nifttenders.eproc.in के माध्यम से ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन के किसी अन्य तरीके पर विचार नहीं किया जाएगा और आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ग) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, फर्म को https://nifttenders.eproc.in पर पंजीकृत करना होगा

- वार्षिक पंजीकरण शुल्क 2360 रुपये (दो हजार तीन सौ साठ रुपये केवल (अप्रितदेय) का भुगतान करके 5600 रुपये +जीएसटी (अप्रितदेय) का बोली प्रसंस्करण शुल्क

मैस/कैंटीन सेवाओं के लिए निविदा दस्तावेज18/06/2019 से 18/07/2019 तक सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से सांय 4 बजे के बीच व्यवस्थापक अनुभाग के कार्यालय से रुपये 2000 का डिमांड ड्राफ्ट जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में देय निफ्ट-कांगड़ा के पक्ष में होगा, जमा करके निविदा की अप्रतिदेय लागत के भुगतान पर, प्राप्त किए जा सकते हैं।

निविदा दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। निविदा दस्तावेज़ को निफ्ट केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट www.nift.ac.in/kangra से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
जिस निविदाकार ने वेबसाइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड किया है, उसे तकनीकी व वित्तीय बोली में निविदा दस्तावेज की लागत के लिए निफ्ट-कांगड़ा के पक्ष में देय 2000 रुपये (अप्रितदेय) का डिमांड ड्राफ्ट भेजना होगा।

निविदा की हार्ड कॉपी जमा करने के दौरान निविदा शुल्क और ईएमडी ड्राफ्ट को तकनीकी बोली कवर में रखा जाए। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को निविदाकर्ता द्वारा अलग-अलग कवर में सील किया जाना चाहिए, जिसे क्रमशः "तकनीकी बोली" और "वित्तीय बोली" के रूप में लिखा जाए। इन दोनों सीलबंद कवरों को एक बड़े कवर में रखा जाए जिसे भी सील किया जाए और उसके अंदर निफ्ट, कांगड़ा में मेस/कैंटीन सेवाओं के लिए निविदा के रूप में विधिवत अंकित किया जाना चाहिए। इस निविदा से संबंधित किसी स्पष्टीकरण के मामले में निफ्ट के निम्नलिखित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

क. श्री धर्मेन्द्र विश्वकर्मा, आरए (प्रशासन) dharmendra.vishwakarma@nift.ac.in

ख. श्री संतोष कुमार सिंह, क्रय अधिकारी santosh.singh@nift.ac.in
बोलीदाता ऑनलाइन निविदा बोलियां जमा करने के संबंध में सी आई इंडिया के निम्नलिखित अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं
श्री संदीप भंडारी 8826814007 sandeep.bhandari@c1india.com, niftsupport@c1India.com
लैंड लाइन नंबर -0124-4302033/36/37

<u>ई-निविदा की हार्ड कॉपी</u> कांगड़ा केंद्र के संयुक्त निदेशक, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, छेब, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-176001 को संबोधित की जाए और सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन जमा की जाए जबकि हार्ड कॉपी 18.07.2019 तक प्रशासन कार्यालय में रखे गए निविदा बॉक्स में जमा की जानी चाहिए। ई-निविदा उसी दिन शाम 4 बजे ऐसे निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोली जाएगी जो या तो स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि के अनुसार विधिवत प्राधिकृत उपस्थित होना चाहते हैं।

3. मेस/कैंटीन ठेकेदार के लिए कार्य-क्षेत्र

कार्य क्षेत्र:

1. निविदाकर्ता एक स्थापित कैटरर होना चाहिए और संस्थान के छात्रों और कर्मचारियों को कैंपस में खाद्य और पेय पदार्थ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
2. ठेकेदार समय-समय पर संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न सरकारी बैठकों, कार्यक्रमों, सेमिनारों और समारोहों में चाय/कॉफी/कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, हाई टी, लंच/डिनर आदि भी परोसेगा। इसके अलावा, संस्थान की विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के सिलसिले में निफ्ट कैंपस में आने वाले लोग भी इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
3. मेस/कैंटीन सेवाओं के मामले में, निफ्ट बिल प्रस्तुत करने और मेस/कैंटीन समिति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित खाद्य और सेवाओं की गुणवत्ता का निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा।
4. कैटरर से निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने की आशा है: खाना पकाने और भोजन परोसने (नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता, और रात का खाना)।
5. अतिरिक्त बिक्री (मेस समिति द्वारा अनुमोदित)। निवासी नीचे उल्लिखित मूल मेनू में शामिल नहीं होने वाली 'अतिरिक्त' मदें प्राप्त करने के लिए इन अतिरिक्त मदों का उपयोग कर सकते हैं।
6. बर्तन, रसोई और परोसने वाली वस्तुओं की सफाई। खाना पकाने, भोजन और सहायक क्षेत्रों की सफाई। मेस में रखे उपकरण, बर्तन व अन्य सामान की सुरक्षा। रसोई और भोजन क्षेत्र में उपकरणों का रखरखाव। मेस के संचालन से संबंधित पुस्तकों, बही-खातों, अन्य अभिलेखों और दस्तावेजों का रखरखाव। उपर्युक्त कार्यों के लिए आवश्यक जन-मानव शक्ति की तैनाती और पर्यवेक्षण।
7. जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है, परिचालन सेवाओं में मेनू तैयार करना और मेस के संचालन से संबंधित कोई भी नीतिगत मामला शामिल नहीं होगा। ऐसे सभी निर्णय की सीधी जिम्मेदारी मेस समिति के संबंधित अधिकारियों की होगी।

लेखांकन और भुगतान:

1. किसी महीने के बिल कैटरर अगले महीने की शुरुआत में कार्यालय में जमा करेगा। कार्यालय सामान्य रूप से बिल जमा होने के 7-10 दिनों के भीतर भुगतान कर देता है। जिन मदों के लिए बिल बनाए गए हैं, उनकी दरें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।
2. इस प्रकार निर्धारित दरें ठेका देने की तारीख कों राज्य/केंद्र सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए सभी कर शुल्क लेवी आदि शामिल हैं। हालांकि, यदि सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा काम के ठेके के बाद कोई नया कर, शुल्क या लेवी लगाया जाता है या बढ़ाया जाता है, तो भुगतान को प्रमाण देने पर इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।
3. कैटरर ऐड-ऑन और उसके लेखांकन की ऑन-द-स्पॉट बिक्री के लिए उत्तरदायी होगा। मूल्य दरें अनुबंध की पूरी अवधि के लिए लागू होंगी और किसी भी परिस्थिति में संशोधित नहीं की जाएंगी

महत्वपूर्ण टिप्पणियां:

1. मेस समिति के पास यह अधिकार सुरक्षित है:- अनुबंध के दायरे और मूल्य में संशोधन करना। उपरोक्त किसी भी कार्य के लिए किसी भी पैनल में शामिल एजेंसियों को मेस का अनुबंध देना, संस्थान उपरोक्त किसी भी कार्य के लिए किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, और न ही इसके लिए आवेदकों को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।
2. इस अनुबंध के लिए एजेंसियों अथवा इनके एजेंटों की ओर से संसथान पर प्रभाव डालने अथवा दवाब डालने का प्रयास करने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता हैं। किसी भी तरह का प्रचार निषिद्ध है।

3. कैटरर को नियमित भोजन के बदले बीमार निवासियों के लिए खिचड़ी या कोई अन्य उपयुक्त वस्तु प्रदान करनी होगी।
4. उपवास रखने वाले निवासियों के लिए, न्यूनतम दस निवासियों की मांग पर कैटरर नियमित भोजन के बदले में स्थानापन्न मदें प्रदान करेगा।
5. कैटरर ऐसी किसी भी मद की आपूर्ति नहीं करेगा जिसकी दरे सक्षम अधिकारी द्वारा पहले से अनुमोदित नहीं की गई है।
6. नॉन वेज, मेन्यू के अनुसार परोसा जाना चाहिए, चाहे नवरात्र आदि जैसे उत्सव हों।
7. संस्थान खाना पकाने के साथ-साथ भोजन परोसने के लिए बर्तन प्रदान करेगा, जिसमें प्लेट, गिलास, चम्मच आदि शामिल हैं
8. छात्रावास कैंपस में कैटरर द्वारा लाए गए सभी उपकरण अभीक्षाक के पास पंजीकृत होने चाहिए।
9. कैटरर उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए रसोई घर और भोजन क्षेत्र जिसमें वॉश बेसिन और कूड़ेदान शामिल हैं की सफाई के लिए उत्तरदायी होगा।
10. कैटरर, कैटरिंग क्षेत्र में वॉश बेसिन के लिए साबुन केक/लिक्विड साबुन भी उपलब्ध कराएगा।
11. सेमेस्टर और मेस/कैंटीन का समय निम्नानुसार होगा:

अस्थायी समय:

क. 1/3/5/7 सेमेस्टर: मध्य जुलाई से दिसंबर के अंत तक

ख. 2/4/6/8-सेमेस्टर: जनवरी से मई के अंत तक।

ग. ग्रीष्मकालीन ब्रेक: जून से मध्य जुलाई
नाश्ता: सुबह 08.00 से 9.00 बजे तक
दोपहर का भोजन: 12:00 बजे से 1.30 बजे तक
स्नैक्स: सांय 04.00 बजे से 4.30 बजे तक
रात्रि भोज: रात्रि 08.00 बजे से 9.30 बजे तक

4. सामान्य निबंधन और शर्तें

1. दस्तावेज भरने से पहले निबंधन और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। अधूरे निविदा दस्तावेज निरस्त कर दिए जाएंगे।
2. निविदा जमा करने से पहले, संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण निविदा दस्तावेज की तकनीकी बोली में दी गई जांच सूची से सत्यापित किया जा सकता है।
3. निफ्ट की वेबसाइट से निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड करने वाले बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज़ की लागत के लिए 2000 रुपये (केवल दो हजार रुपये) का अलग से डिमांड ड्राफ्ट जमा करना है। यह डिमांड ड्राफ्ट तकनीकी बोली के साथ जमा करना है। निविदा दस्तावेज की लागत के लिए निविदा दस्तावेज के साथ डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
4. निविदाकर्ता को डिमांड ड्राफ्ट के पीछे बोलीदाता फर्म का नाम और पूरा डाक पता लिखना होगा।
5. निविदा दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और इस निविदा के सभी निबंधन और शर्तों को स्वीकार करने के स्वरूप बोलीदाता फर्म की मुहर के साथ सील किया जाना चाहिए।
6. निफ्ट कांगड़ा का निविदाकार के पिछले/वर्तमान ग्राहकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित है और निविदाकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली खाद्य और सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में मौके पर वर्तमान में अनुबंध साइट का निरीक्षण करने के लिए अपनी टीम भी तैनात कर सकता है। अनुबंध प्रदान करने के संबंध में निफ्ट कांगड़ा का निर्णय पिछले और वर्तमान ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक और इस उद्देश्य के लिए प्रतिनियुक्त अपनी टीम की प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करेगा। इस संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा और सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।
7. निविदा निफ्ट, कांगड़ा के सरकारी निविदा प्रपत्र में ही जमा की जाएगी। यदि किसी अन्य तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। किसी भी बोलीदाता को एक से अधिक निविदा प्रपत्र जारी नहीं किए जाएंगे।
8. रूपए 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार रुपये) की निर्धारित बयाना जमा राशि (ईएमडी) के बिना प्राप्त निविदाएं निरस्त कर दी जाएंगी। जिन बोलीदाताओं के पास एनएसआईसी छूट प्रमाणपत्र है, उन्हें बयाना जमा राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
9. निविदा दस्तावेज से कोई भी कागज अलग नहीं किया जाएगा
10. बोलीदाता का नाम और पता इस प्रयोजन के लिए निर्धारित स्थान पर स्पष्ट रूप से लिखा जाए और उसमें कोई उपरिलेखन, सुधार नहीं होगा; निविदा के किसी भी भाग में कुछ जोड़ने की अनुमति दी जाएगी जब तक कि बोलीदाता द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित न किया जाए। निविदा यहां निहित निर्देशों के अनुसार भरी जाए और प्रस्तुत की जाए; अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
11. सभी बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बोलियां तकनीकी बोलियां खोलने की तारीख से कम से कम तीन महीने की न्यूनतम अवधि के लिए मान्य होनी चाहिए।
12. बोली या निविदा से जुड़े अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को स्पष्ट रूप से अपना नाम लिखना होगा और उस क्षमता को भी निर्दिष्ट करना होगा जिसमें वह हस्ताक्षर रहा हैं।
13. संस्थान को भरे गए निविदा दस्तावेज को जमा करने से पहले, बोलीदाता पूर्व नियुक्ति लेकर

कार्यकारी समय में संस्थान आकर अथवा दूरभाष नंबर 01892-260875 पर क्रय अधिकारी से स्पष्टीकरण (यदि कोई हो) की मांग कर सकते हैं।

14. सफल बोलीदाता को संस्थान के साथ एक समझौता करना होगा

15. किसी भी रूप में प्रचार करने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

16. खानपान सेवाओं को शाकाहारियों और मांसाहारियों दोनों के लिए अभिनव विविधता और संतुलित पोषण बनाना चाहिए। खानपान सेवाओं की आवश्यकता में शामिल हैं- (क) छात्रावासियों और दिन के छात्रों सहित सभी छात्रों के लिए चाय/कॉफी के साथ नाश्ता, दोपहर का भोजन और दोपहर का नाश्ता, (ख) छात्रावासियों के लिए रात्रिभोज, (ग) शाम या सप्ताहांत कक्षाओं में भाग लेने वाले अंशकालिक कार्यक्रमों के छात्रों के लिए चाय/कॉफी के साथ दोपहर के बाद नाश्ता, (घ) नाश्ता/दोपहर का भोजन आदि अधिकारी/संकाय/कर्मचारियों को, जिन्हें ऐसी सेवाओं की आवश्यकता होती है। संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि छात्रों/कर्मचारियों को केवल गर्म और ताजा भोजन ही परोसा जाए। इस संबंध में शिकायत, यदि कोई हो, पर गंभीर रूप से कार्रवाई की जाएगी

17. अन्य मदों की दरें मौजूदा बाजार दरों पर आधारित होगी और जैसा कि निफ्ट कांगड़ा प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ठेकेदार और कैंटीन समिति द्वारा संयुक्त रूप से तय किया गया है।

18. कैटरिंग निविदाकर्ता कैंटीन समिति द्वारा समय-समय पर अनुमोदित मूल्य/उद्धरण पर कैंटीन में विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ, स्नैक्स और भोजन भी प्रदान करेगा। सभी पैक्ड मदें एमआरपी से अधिक पर नहीं बेची जाए। विचलन के मामले में, इन सभी मदों को निविदाकर्ता के कारण और वैकल्पिक व्यवस्था करके उसके जोखिम पर परोसा जाएगा, जिस पर कृपया ध्यान में रखा जाए। इसमें सेवा प्रदान करने के लिए और आवश्यकता पड़ने पर बुफे लंच/हाई टी के लिए भी पर्याप्त बर्तन, क्रॉकरी और अन्य अवसंरचना होनी चाहिए।

19. निविदाकर्ता आपातकालीन प्रकाश/गैस सिलेंडर, और ईंधन की आपूर्ति आदि की वयवस्था करेगा।

20. निफ्ट कांगड़ा का निफ्ट कैंटीन में नियोजित/कार्यरत किसी को भी जो स्वच्छता या स्वास्थ्य या आचरण या किसी अन्य प्रशासनिक कारणों से सेवाओं के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, को हटाने के लिए निविदाकर्ता को आदेश करने का अधिकार सुरक्षित है, निफ्ट कांगड़ा का पहचान पत्र नहीं रखने वाले व्यक्ति को अनुमत नहीं करने के अधिकार सुरक्षित हैं।

21. निबंधन और शर्तों के संबंध में व्याख्या, संशोधन और किसी भी परिवर्तन के मामले में, कैंटीन समिति, कैंटीन निविदाकर्ता और कैंपस निदेशक संयुक्त रूप से ऐसे पहलू की जांच करेंगे और निदेशक का निर्णय अंतिम और कैटरर के लिए बाध्यकारी होगा।

22. यदि किसी संसाधन की बर्बादी पाई जाती है तो निफ्ट कांगड़ा के प्राधिकारियों द्वारा उचित जुर्माना लगाया जाएगा।

23. निविदाकार के कर्मचारियों को कैंटीन कैंपस के बाहर स्थित किसी अन्य सेवा क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

24. निफ्ट कांगड़ा कैंपस में कपड़े, वाहन आदि धोने की अनुमति नहीं है।

25. निफ्ट कांगड़ा, छुट्टियों और अवकाश के दौरान रहने वाले छात्रावासियों को खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदाकर्ता को प्रत्येक सेमेस्टर में सामान्य छुट्टियों और छात्रों की छुट्टियों की एक सूची प्रदान करेगा।

26. निविदाकर्ता उचित रजिस्टर में इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत कैंटीन समिति के सदस्य द्वारा प्रमाणित दैनिक मेनू सूची बनाएगा और इसे बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा।

27. कूड़े के निस्तारण की जिम्मेदारी पूरी तरह से निविदाकार की है।

28. निफ्ट कांगड़ा द्वारा गठित समिति का कोई भी व्यक्ति कार्यालय समय के दौरान औचक जांच कर भोजन व स्वच्छता की गुणवत्ता की जांच कर सकता है।

29. ठेकेदार नियमित कीट और मक्खियों का नियंत्रण अपने खर्चे पर करेगा।

30. निविदा को अंतिम रूप देने के बाद बोलीदाता को जीएसटी कानूनों के तहत मुनाफाखोरी रोधी प्रारूप प्रस्तुत करना होगा।

31. ठेकेदार को किए गए सभी भुगतान स्रोत पर लागू कर कटौती के अध्यधीन होंगे।

5. तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए पात्रता शर्तें/दिशानिर्देश

अर्हता मानदंड निम्नलिखित हैं:-

1. बोलीदाता के पास प्रतिष्ठान और स्थापना अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, पीएफ, ईएसआई, जीएसटी, एफएसएसएआई आदि के तहत सरकार के सभी आवश्यक और संबंधित पंजीकरण होने चाहिए। खाद्य और मिलावट प्रमाणपत्र की भी आवश्यकता होगी।
2. तकनीकी बाली के साथ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में देय निफ्ट-कांगड़ा के पक्ष में 3.50,000 रुपये (तीन लाख पचास हजार रुपये) का बैंक डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के साथ बयाना जमा राशि के रूप में संलग्न किया जाना चाहिए। जिन बोलीदाताओं के पास एनएसआईसी छूट प्रमाणपत्र है, उन्हें बयाना धन जमा राशि देने की आवश्यकता नहीं है।
3. *आवेदक को निम्नलिखित आवश्यकताओं के साथ 31 मार्च, 2019 तक न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए खानपान व्यवसाय में होना चाहिए:*

- ***ऐसे ही दो पूर्ण कार्य*** (अधिमानतः उनमें से एक ***अकादमिक संस्थान*** में होना चाहिए) जिनमें प्रत्येक पिछले 12 महीनों के बाद से 100 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था हो। अथवा
- ***ऐसा ही एक पूर्ण कार्य*** (अधिमानतः अकादमिक संस्थान में होना चाहिए)

4. पिछले 12 महीनों में न्यूनतम 400 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। नई फर्म के लिए फर्म के मालिक को प्रबंधक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रबंधक को अकादमिक संस्थान में, न्युनतम 350 छात्रों की सेवा के खनपान का केटरिंग का अनुभव होना चाहिए।
5. टिप्पणी: इसी प्रकार के कार्य का तात्पर्य है संस्थानों/अस्पतालों/केंद्र सरकार/*केंद्रीय स्वायत्त निकायों*/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान/संगठनों/कंपनियों के बड़े मैस का संचालन।
6. पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 के दौरान खानपान सेवाओं में आवेदक का वार्षिक वित्तीय कारोबार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 5.00 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए।
7. अंतिम पांच वर्षों के दौरान तीन वर्षों से अधिक समय में कोई हानि नहीं होनी चाहिए।
8. आवेदक को अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए अपने वेतन रोल पर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहिए।

6. निविदा जमा करने के दिशानिर्देश

1. बोलियां दो भागों में प्रस्तुत की जानी हैं-
   (i) सील बंद तकनीकी बोली, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में देय निफ्ट कांगड़ा के पक्ष में 3.50,000 रुपये (तीन लाख पचास हजार रुपये) के लिए डिमांड ड्राफ्ट के साथ, एक सीलबंद लिफाफे में बयाना जमा राशि (ईएमडी) जिसके ऊपर "निफ्ट कांगड़ा कैंपस में मेस/कैंटीन सेवाएं प्रदान करने के लिए तकनीकी बोली" लिखा हो, रखा जाए। ईएमडी के बिना प्राप्त निविदा दस्तावेज को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा;
   (ii) सीलबंद वित्तीय बोली को एक अलग लिफाफे में रखा जाए जिसके ऊपर: "निफ्ट कांगड़ा कैंपस में मेस/कैंटीन सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय बोली" लिखा जाए।
2. उपर्युक्त दो सीलबंद लिफाफों पर बोलीदाता का नाम और पूर्ण डाक पता होना चाहिए। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली वाले सीलबंद लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखा जाए जिसके ऊपर "मेस/कैंटीन सेवा के लिए निविदा" लिखा जाए। बोलीदाता का नाम और पूर्ण डाक पता लिखकर इस बड़े लिफाफे को संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, निफ्ट कैंपस, छेब, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-176001 को संबोधित करके और निविदा बॉक्स में, 18/07/2019 □□ 16:00 बजे या उससे पहले छोड़ दिया जाना चाहिए नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।

बोलियों को खोलना

3. तकनीकी बोलियां नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट कैंपस, छेब, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-176001 में 18/07/2019 को 16:30 बजे ऐसे बोलीदाताओं जो या तो स्वंय या अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित होना चाहते हैं (प्राधिकरण पत्र के साथ विधिवत समर्थित) की उपस्थिति में खोली जाएंगी।

4. केवल तकनीकी रूप से स्वीकार्य निविदाओं की वित्तीय बोलियां भावी विचारार्थ खोली जाएंगी। इस संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा और बोलीदाताओं से किसी भी अनुरोध आदि पर विचार नहीं किया जाएगा। वित्तीय बोली खोलने की तारीख और समय की सूचना केवल ऐसे बोलीदाताओं को दी जाएगी जो संस्थान द्वारा निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार पात्र पाए जाते हैं।
5. अनुबंध को अंतिम रूप देने के बाद असफल बोलीदाताओं का ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन

6. तकनीकी बोली के मूल्यांकन के बाद संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं में से सबसे कम-एल बोली का निर्णय मेस दरों के लिए वित्तीय बोली में दी गई दरों के आधार पर निविदा को अंतिम रूप देने के समय किया जाएगा। परिशिष्ट 'क' के लिए 60% भारिता और परिशिष्ट "ख" के 40% भारिता पर विचार करने के बाद प्रतिमाह सबसे कम दर उदधृत करने वाले निविदाकर्ता को एल-1 माना जाएगा। यदि दो या अधिक निविदाकर्ता समान दरों का उल्लेख करते है, तो इसी तरह के सरकारी संगठनों में कैंटीन सेवा संचालन का अधिकतम अनुभव रखने वाले निविदाकर्ता को वरीयता दी जाएगी।
7. सफल निविदाकर्ता को निफ्ट कांगड़ा के साथ करार करना होगा।

7. वैधानिक निबंधन और शर्तें

क. अनुबंध की अवधि

क. मेस/कैंटीन सेवाओं के लिए अनुबंध शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा।
ख. अनुबंध एक वर्ष की आगे की अवधि या पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के लिए पारस्परिक रूप से सहमत निबंधन और शर्तों पर संतोषजनक निष्पादन पर संस्थान द्वारा नवीकरण के अध्याधीन है।

ख. ईएमडी जब्त करना

क. यदि ठेकेदार निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है तो सफल बोलीदाता की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी:
ख. यदि अनुबंध पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र में समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं;
ग. मेस/कैंटीन सेवाएं शुरू करने के लिए निर्धारित तारीख के सात दिन के भीतर ठेकेदार मेस/कैंटीन सेवाएं शुरू नहीं करता है।
घ. इस निविदा के माध्यम से मेस/कैंटीन को प्रदान करने का ठेका निफ्ट कांगड़ा और एल1 बोलीदाता के बीच हस्ताक्षरित बाद के समझौते के अनुसार लागू होगा। वित्तीय बोली में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि सफल बोलीदाता इस अवधि के दौरान निविदा की शर्तों को वापस ले लेता है या बदलता है, तो बयाना जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

ग. प्रतिभूति जमा

क. ठेकेदार को कार्यादेश स्वीकार करने पर तुरंत कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में देय निफ्ट कांगड़ा के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूची बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रुपए 7,00,000 (सात लाख रुपये केवल) निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करने होंगे, ईएमडी को इस जमा राशि के साथ समायोजित किया जाएगा)। इस निष्पादन प्रतिभूति पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यह निष्पादन प्रतिभूति अनुबंध जारी रहने के दौरान संस्थान के पास रहेगी और अनुबंध की समाप्ति या बर्खास्तगी के तीन महीने के बाद वापस की जाएगी जो संविदाकार द्वारा सभी बकाए चुकता करने के अध्यधीन होगी।

ख. यदि ठेकेदार द्वारा नोटिस की निर्धारित अवधि दिए बिना अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है या वह

निविदा की निबंधन और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो उपर्युक्त निबंधन और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप संस्थान को होने वाले किसी भी अतिरिक्त हर्जाने के लिए ठेकेदार से वसूल करने के लिए कार्रवाई करने के निफ्ट प्रबंधन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

घ. <u>बिजली और पानी शुल्क</u>

क. ठेकेदार को वास्तविक आधार पर संस्थान बिजली शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसके लिए रसोई और सेवा क्षेत्र के लिए उप-मीटर उपलब्ध कराए जाएंगे। बिजली की खपत के लिए संस्थान द्वारा प्राप्त कुल बिलों में से ठेकेदार द्वारा उपभोग की जाने वाली इकाइयों के संबंध में राशि का भुगतान उसके द्वारा संस्थान को किया जाएगा।

ख. ठेकेदार को हर माह के पहले सप्ताह में कांगड़ा में देय निफ्ट, कांगड़ा के पक्ष में चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संस्थान को रखरखाव शुल्क के साथ-साथ आवेदन जीएसटी के लिए प्रतिमाह 17,000 रुपये (केवल सत्रह हजार रुपये) और लागू जीएसटी का भुगतान करना होगा। बिजली की वास्तविक खपत का भुगतान ठेकेदार द्वारा अलग से मासिक मीटर रीडिंग के आधार पर किया जाएगा।

ग. संस्थान द्वारा अलग से पानी का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

घ. कूड़ा सफाई शुल्क ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

ङ. <u>निविदाकर्ता (ठेकेदार) के वैधानिक दायित्व</u>

क. ठेकेदार निफ्ट कैंपस में अच्छी मेस/कैंटीन सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षित/अर्ध-प्रशिक्षित जनशक्ति को नियुक्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ख. ठेकेदार के कर्मचारियों का अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए और किसी भी रोग, विशेष रूप से संक्रामक और अक्सर आवर्ती रोगों से मुक्त होना चाहिए।

ग. ठेकेदार, अनुबंध का संचालन शुरू होने से पहले, उन सभी कर्मचारियों का विवरण निफ्ट को उपलब्ध करवाएगा जिन्हें मेस/कैंटीन चलाने के लिए संस्थान के कैंपस में तैनात किया जाएगा। अन्य बातों के साथ-साथ इस तरह के विवरणों में कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति, आयु/जन्मतारीख, स्थायी पता, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट और प्रोफाइल शामिल होना चाहिए।

घ. ठेकेदार भारत सरकार के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार अपने कामगारों को मजदूरी का समय पर भुगतान करने और भविष्य निधि, ईएसआई, जीएसटी, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम/घातक दुर्घटना अधिनियम, व्यक्तिगत चोटों आदि जैसे अन्य सभी सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा। व्यक्तियों को किए गए भुगतान का प्रमाण और सांविधिक देयता हर महीने भुगतान जारी करने के लिए निफ्ट को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ङ. ठेकेदार अपने कामगारों के बीच उचित अनुशासन सुनिश्चित करेगा और इसके अलावा यह सुनिश्चित करेंगा कि वे किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त न हों।

च. कानून के तहत बाल श्रम के रोजगार पर सख्ती से रोक है। इसलिए ठेकेदार किसी भी बच्चे को

रोजगार नहीं देगा।

छ. ठेकेदार द्वारा किसी भी संविदात्मक या सांविधिक दायित्वों के उल्लंघन की स्थिति में, वह इसके लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, ठेकेदार के कृत्यों के कारण किसी भी व्यक्ति, एजेंसी या सरकारी प्राधिकरण द्वारा संस्थान के विरुद्ध शुरू की गई किसी भी कार्रवाई, दावा, क्षति, वाद की स्थिति में ठेकेदार संस्थान को ऐसे दावों या क्षति की अच्छी/भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होगा। ठेकेदार के कृत्यों के परिणामस्वरूप, यदि संस्थान को किसी व्यक्ति, एजेंसी या सरकारी प्राधिकरण को कोई हर्जाना देना होता है, तो ठेकेदार को संस्थान को ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति करनी होगी या संस्थान को अपने बिलों का निपटारा करते समय या संस्थान के पास पड़े ठेकेदार की प्रतिभूति जमा राशि से ठेकेदार के कारण भुगतान से ऐसी राशि की वसूली करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ज. ठेकेदार खाना पकाने की जगह, डाइनिंग हॉल और आसपास के वातावरण आदि के संबंध में समय-समय पर लागू स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य स्थितियों और अन्य कानूनों से संबंधित सभी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

झ. मेस/कैंटीन स्टाफ को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को वर्दी और जूते के पर्याप्त सेट प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे उन्हें हर समय पहनें और उन्हें ठीक से बनाए रखें।

ञ. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के आचरण और व्यवहार के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और ठेकेदार के कर्मचारियों के आचरण के कारण संस्थान की चल या अचल संपत्ति को किसी भी नुकसान या क्षति की ठेकेदार द्वारा भरपाई की जाएगी। यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति का आचरण या कार्यकुशलता असंतोषजनक है, तो ठेकेदार को संबंधित व्यक्ति को हटाना होगा और निफ्ट द्वारा सूचना के 48 घंटे के भीतर एक नए व्यक्ति को शामिल करना होगा। इस संबंध में संस्थान के नामित अधिकारी का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

ट. ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी उप-ठेकेदार को नियुक्त नहीं करेगा।

ठ. ठेकेदार मेस/कैंटीन और उसके आसपास के क्षेत्रों को सेवाओं के समाप्त होने के बाद प्रतिदिन साफ-सुथरा और स्वच्छ रखेगा। सफाई में किचन, मेस/कैंटीन हॉल, फ्लोर, काउंटर, बेंच, टेबल, कुर्सी आदि की सफाई शामिल है। निफ्ट प्रबंधन के पास मेस/कैंटीन किचन और डाइनिंग हॉल कैंपस की साफ-सफाई और स्वच्छ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए किसी भी समय मेस/कैंटीन कैंपस का निरीक्षण करने के लिए 24 घंटे की सुविधा होगी।

ड. संस्थान के पास मेस/कैंटीन में तैयार और बेचे जाने वाले कच्चे माल, भोजन और अन्य वस्तुओं की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार सुरक्षित है। ऐसे अधिकारियों द्वारा अपने दौरों के दौरान बताई गई किसी भी खामी पर ठेकेदार द्वारा उचित रूप से ठीक किया जाएगा।

ढ. ठेकेदार को कैंटीन समिति द्वारा अनुमोदित सभी मदों की कीमतें प्राप्त होंगी और उनमें समिति के

लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस निविदाकर्ता को कैंटीन में बेचे जाने वाले सभी खाद्य पदार्थों, शीतल पेय, चाय, कॉफी और जूस की मूल्य सूची प्रदर्शित करनी होगी। निफ्ट कैंटीन में बिकने वाली वस्तु की कीमतें एमआरपी और स्थानीय बाजार दर से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसे नियमित आधार पर निफ्ट के अधिकारियों की समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदित सूची को निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन क्षेत्र के भीतर उचित स्थान पर प्रदर्शित किया जाए।

ण. संविदाकार, आग विस्फोट आदि सहित किसी भी दुर्घटना/हताहत के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा। कैंटीन कैंपस में कथित दुर्घटना के लिए संविदाकार को पीड़ित को मुआवजा देना होगा और इस संबंध में निफ्ट की कोई देयता ठेकेदार के प्रति या पीड़ितों के प्रति नहीं होगी।

च. <u>अनुबंध की समाप्ति</u>

क. वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक आपसी समझौते से बढ़ाए जाने वाले दूसरे पक्ष को तीन महीने का नोटिस देने के बाद किसी भी पक्ष अर्थात निफ्ट कांगड़ा या ठेकेदार द्वारा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। हालांकि, निफ्ट कांगड़ा के पास अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में कोई नोटिस दिए बिना अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में निफ्ट का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार द्वारा बिना किसी आपत्ति या प्रतिरोध के स्वीकार किया जाएगा।

ख. ठेका समाप्त होने पर ठेकेदार निफ्ट कांगड़ा द्वारा आपूर्ति किए गए सभी उपकरणों/फर्नीचर/वस्तुओं आदि को सुचारू दशा में वापस निफ्ट को सौंप देगा।

छ. <u>दण्ड</u>

(i) पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों और वहां बनाए गए निबंधन के अनुसार की गई मध्यस्थता के माध्यम से संदर्भित और निपटाया जाएगा। इस तरह के विवादों का निर्णय एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा जिसमें तीन मध्यस्थ शामिल हैं, प्रत्येक पक्ष द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाना है और नियुक्त किए गए दो मध्यस्थ, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के प्रयोजनों के लिए संयुक्त रूप से तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे। मध्यस्थों को केवल इस तरह के पंचाट देने की शक्तियां होंगी, जैसा कि इस समझौते द्वारा विचार किया गया है, जिसमें उचित, निषेधाज्ञा राहत शामिल है। मध्यस्थता का स्थान कांगड़ा होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

(ii) संस्थान का ठेकेदार या उसके कर्मचारियों द्वारा या किसी भी मिलावट के लिए जानबूझकर या अन्यथा गुणवत्ता और सेवाओं को बनाए रखने में किसी भी गंभीर चूक के लिए ठेकेदार पर जुर्माना (निफ्ट कांगड़ा अधिकारियों द्वारा तय किया जाना) लगाने का अधिकार सुरक्षित है।

(iii) यदि संस्थान ठेकेदार या उसके कर्मचारियों के परोसे गए खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता, सेवाओं या व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, तो ठेकेदार को दोष में सुधार करने के लिए 24 घंटे का नोटिस दिया जाएगा, ऐसा न होने पर निफ्ट को उचित आवश्यक कदम उठाने की स्वतंत्रता होगी जैसा कि उचित समझा जाता है।

(iv) किसी अन्य अदालत या अदालतों के पास संदर्भ के विषय का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार होने के बावजूद यदि वही वाद का विषय रहा होता, तो अनुबंध से संबंधित या उससे संबंधित सभी कार्रवाइयां और कार्यवाही (उसके संदर्भ में किसी मध्यस्थता सहित) केवल केंद्र स्थान पर इस ओर सक्षम नागरिक क्षेत्राधिकार की अदालत में ही होगी।

(v) खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की किसी भी समय मेस/कैंटीन समिति द्वारा जांच की जा सकती है और यदि घटिया/अनधिकृत सामग्री पाई जाती है और तीन प्रतिकूल

नोटिस जारी करने के बाद इसे अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और निदेशक अनुबंध की समीक्षा कर सकते हैं। ठेकेदार को निदेशक के निर्णय का पालन करना होगा।

8. ठेकेदार के दायित्व

i. ठेकेदार मदें तैयार करने के लिए केवल ब्रांडेड कच्चे माल का उपयोग करेगा। परिशिष्ट-1 में विभिन्न मदों के अनुमेय ब्रांड दिए गए हैं।

ii. यदि छात्र उद्योग प्रशिक्षण, उद्योग यात्राओं, सेमिनारों, आईसीटी, अवकाश आदि के लिए जाते हैं तो निविदाकर्ता को सूचना देने के बाद, निफ्ट को वास्तविक शुल्क घटाने का अधिकार होगा क्योंकि सुविधा का उपयोग छात्रों द्वारा नहीं किया जाता है।

iii. संस्थान कच्चे माल के भंडारण, बैठने और परोसने की जगह आदि के लिए ठेकेदार को जगह उपलब्ध कराएगा। संस्थान सेवारत क्षेत्र में टेबल और कुर्सी भी उपलब्ध कराएगा।

iv. यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि कार्य को अंजाम देते समय संस्थान द्वारा प्रदान किए गए कोई फिटिंग, फिक्स्चर, साज-सज्जा, उपकरण क्षतिग्रस्त न हों। उसी या किसी अन्य संपत्ति के किसी भी नुकसान की मरम्मत ठेकेदार द्वारा की जाएगी, ऐसा न होने पर निफ्ट कांगड़ा द्वारा ठेकेदार के जोखिम और लागत पर ऐसा ही किया जाएगा। इस संबंध में निफ्ट कांगड़ा के नामित अधिकारी का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

v. निफ्ट कांगड़ा की सुविधा अनुसार सभी कार्य किए जाएंगे। संबंधित प्राधिकारी के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

vi. ठेकेदार निर्धारित समय के बाद और शनिवार/रविवार को काम के लिए पर्याप्त जनशक्ति तैनात करेगा। निफ्ट की आवश्यकता के अनुसार और हॉस्टलर/स्टाफ/फैकल्टी, गर्मियों/सर्दियों के ब्रेक के दौरान, कैटरर निफ्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों को पूरा करने के लिए कम से 5 कर्मचारियों (2 रसोइयों और 3 वेटर) को तैनात करेगा और कैंटीन सामान्य रूप से कार्य करेगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि खाना बनाते समय रसोइयों ने नाखून कटे हो।

vii. ठेकेदार को संस्थान के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार मेस/कैंटीन/अकादमिक/व्यवस्थापक ब्लॉक में नाश्ता/दोपहर का भोजन/रात्रिभोज की आपूर्ति करनी होगी। ठेकेदार निफ्ट कांगड़ा के अधिकारियों के लिए उचित कक्ष सेवाएं भी सुनिश्चित करेगा।

(IX) मेस/कैंटीन सहित संस्थान के कैंपस में नशीले पदार्थों, मादक पेय, सिगरेट या नशे की किसी अन्य वस्तु का भंडारण/आपूर्ति/बिक्री और उपभोग पर सख्ती से प्रतिबंध है। मेस/कैंटीन ठेकेदार द्वारा ऐसे प्रतिबंधों का उल्लंघन करने से सांविधिक मानदंडों के अनुसार ठेकेदार के खिलाफ निवारक कार्रवाई की जाएगी।

(X) ठेकेदार को किसी भी दिन रात्रि 10:00 बजे से प्रात: 6:00 बजे के बीच अपने कर्मचारियों को निफ्ट कैंपस के अंदर रखने की अनुमति नहीं होगी।

(XI) खाद्य पदार्थों की खपत के लिए ठेकेदार को कोई न्यूनतम गारंटी नहीं दी जाएगी। उन्हें न्यूनतम संभव मूल्यों पर उच्चतम गुणवत्ता बनाए रखने की सलाह दी जाती है ताकि मेस/कैंटीन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अधिकतम संख्या में छात्र/हॉस्टलर/एनआईएच कर्मी आकर्षित हो सकें। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि पके हुए और अधपका भोजन का भंडारण ठीक से हो और कोई बासी भोजन न परोसा जाए। विषाक्त भोजन के मामले में ठेकेदार को पूरी तरह उत्तरदायी ठहराया जाएगा और निफ्ट कांगड़ा के विवेक पर कानूनी कार्रवाई के अलावा दंडित किया जाएगा।

(XII) ठेकेदार द्वारा नियोजित कामगार सीधे ठेकेदार की देखरेख, नियंत्रण और रोजगार के अधीन होंगे और उनका राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के साथ कोई संबंध नहीं होगा। निफ्ट कांगड़ा की ऐसी कामगारों को नियंत्रित करने या उनकी निगरानी करने या कानून के तहत अनुमत को छोड़कर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोई बाध्यता नहीं होगी। ऐसे कामगारों के पास निफ्ट में किसी अस्थायी या स्थायी पदों के विरुद्ध मेस/कैंटीन ठेकेदार द्वारा नियोजित किए जाने के

आधार पर उनकी सेवाओं के रोजगार या नियमितीकरण के लिए निफ्ट के विरुद्ध कोई दावा भी नहीं होगा।

(XIII) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि या तो वह स्वयं या उसका प्रतिनिधि संस्थान की संपूर्ण संतुष्टि के लिए कार्यों में उचित प्रशासन और पर्यवेक्षण के लिए उपलब्ध हो। निफ्ट कांगड़ा के पास यह अधिकार है कि वह ठेकेदार से बिना कोई कारण बताए तैनात किसी भी व्यक्ति को हटाने के लिए कहे।

(XIV) ठेकेदार निफ्ट कांगड़ा द्वारा दी जाने वाली मेस/कैंटीन सेवाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यकता के अनुसार अपने औजार, कुकर, हॉट बॉक्स, स्टीम बॉक्स, ट्राली, उपकरण, बर्तन, प्लेट, जग आदि पर्याप्त मात्रा में लाएगा।

(XV) निफ्ट खानपान के प्रयोजन से मेस/कैंटीन में कच्चे माल सहित कोई उपभोग्य या गैर-उपभोग्य वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराएगा।

(XVI) ठेकेदार मेस/कैंटीन कैंपस का उपयोग किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं करेगा सिवाय इसके कि जिस उद्देश्य के लिए इसे दिया गया है।

(XVII) संस्थान की आधिकारिक बैठकों/सम्मेलन/आतिथ्य बिलों के संबंध में भुगतान संबंधित विभाग/प्राधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

9. कैंटीन ठेकेदार द्वारा वचन-पत्र

मैने/हमने निफ्ट कांगड़ा कैंपस में मेस/कैंटीन सेवाएं प्रदान करने के लिए ऊपर सूचीबद्ध विभिन्न निबंधन और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया हैं। मैं/हम इन सभी शर्तों से सहमत हैं और निफ्ट, कांगड़ा कैंपस में मेस/कैंटीन सेवाएं प्रदान करने पर सहमत हैं। मैं/हम किसी भी स्रोत से किसी भी प्रकार के दबाव या प्रभाव के बिना शर्तों को ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद यह प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हैं। मैने/हमने इस प्रस्ताव को करने से पहले मैंने/हमने किए जाने वाले आवश्यक कार्यों से स्वयं को परिचित कर लिया है। मैं/हम एतदद्वारा ऊपर सूचीबद्ध विभिन्न शर्तों की हमारी स्वीकृति के रूप में इस वचन-पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं।

स्थान ____________

दिनांक ______

____

ठेकेदार का नाम और हस्ताक्षर

पता: ________________________

____

____

फोन नंबर (कार्यालय) : ______________________

(निवास) : ______________________________

(मोबाइल) : ______________________________

उपभोग्य सामग्रियों के अनुमेय ब्रांड

ब्रांडेड मदें (जैसा कि नीचे दी गई है) का उपयोग हमेशा किया जाना चाहिए। यदि निर्दिष्ट ब्रांड का उपयोग नहीं किया जाता है तो उपयुक्त मौद्रिक दंड लगाया जाएगा।

1. मक्खन-अमूल/मदर डेयरी पाश्चुरीकृत "अमूल डिलीशियस नहीं।
2. जैम - किसान या टॉप्स।
3. केचप - किसान, टॉप्स, या क्रीमिका।
4. मसाला - एमडीएच, बीएमसी, या कैच।
5. चावल - मेस समिति द्वारा अनुमोदित ब्रांडेड कंपनी का बासमती।
6. आटा - जैसा कि मेस समिति द्वारा अनुमोदित।
7. बेसन - जैसा कि मेस समिति द्वारा अनुमोदित।
8. तेल- फॉर्च्यून/न्यूट्रला: रिफाइंड सूरजमुखी/सोयाबीन तेल।
9. चाय बैग - ताजमहल या मेस समिति द्वारा अनुमोदित ब्रांड।
10. कॉफी - नेस्केफे, ब्रू, या टाटा।
11. अचार - एमटीआर या प्रिया या मेस समिति द्वारा अनुमोदित ब्रांड।
12. देसी घी- अमूल, ब्रिटानिया ब्रेड/पाव/बन-बॉन
    नमक- टाटा, कैप्टन कुक, या अन्नपूर्णा
13. दूध - मेस समिति द्वारा अनुमोदित जिसमे पानी की मात्रा निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं हो।

उपरोक्त ब्रांडों की अनुपलब्धता के मामले में आवश्यक किसी अन्य मद या उपरोक्त मदों में से किसी ब्रांड का निर्णय मेस समिति और कैटरर द्वारा पारस्परिक रूप से किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

7. तकनीकी बोली का प्रपत्र

निफ्ट कांगड़ा कैंपस में मेस/कैंटीन सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक दर अनुबंध

1. ठेकेदार का नाम: ______________________________

2. कैटरर का पता : ____________________

फोन नंबर: --------------(मोबाइल}---------------------------- (फैक्स.)------------------------------

3. क्या मालिक है या साझेदारी फर्म या कंपनी ?

अपेक्षित दस्तावेज	संलग्न/संलग्न नहीं
जीएसटीइन नंबर के साथ दुकान और स्थापना प्रमाणपत्र/जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र।	
एफएसएसएआई नंबर श्रेणी (अनिवार्य) एफएसएसएआई प्रमाणपत्र के बिना निविदा निरस्त कर दी जाएगी	
यदि निविदा दस्तावेज वेबसाईट से डाउनलोड किए जाते है तो निविदा शुल्क के लिए रूपए 2000 का अलग से डिमांड ड्राफ्ट अथवा रसीद की प्रतिलिपि	
बयाना जमा राशि के लिए 3,50,000 रुपये का डीडी (यदि एनएसआईसी के तहत पंजीकृत है तो पंजीकरण की प्रति जमा करें)	
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कारोबार निम्नानुसार हैं वित्तीय वर्ष 2015-16 (5.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक) वित्तीय वर्ष 2016-17 (5.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक) वित्तीय वर्ष 2017-18 (5.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक)	
फर्म के मालिक/भागीदारों की एक सूची और उनके संपर्क टेलीफोन नंबर और इस आशय के प्रमाणपत्र के साथ कि फर्म को किसी सरकारी विभाग द्वारा काली सूची में डाल दिया जाता है और न ही फर्म या उसके मालिक/भागीदारों के विरूद्ध भारत में कहीं भी कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।	
जीएसटी पंजीकरण की स्व-सत्यापित प्रति	
ठेका श्रम अधिनियम के तहत लाइसेंस की स्व-सत्यापित प्रति	
क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त के पास पीएफ पंजीकरण की स्व-सत्यापित प्रति	
ईएसआई पंजीकरण की स्व-सत्यापित प्रति	
निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न विधिवत हस्ताक्षरितवचन-पत्र	
नियम और शर्तों की प्रतिलिपि पर और निविदा के हर पृष्ठ पर उद्धृत निबंधन और शर्तो और यथा उद्धृत निविदा की स्वीकृति स्वरूप विधिवत फर्म की मुहर के साथ हस्ताक्षर किए।	
पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति	

4. क्या कैटरिंग एजेंसी के मालिक या उसके साथी का निफ्ट में कार्यरत कोई रिश्तेदार हैं? यदि हां, तो कृपया ऐसे रिश्तेदार और रिश्ते का उल्लेख करे:

5. सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 को वार्षिक कारोबार का ब्यौरा विवरण, (तुलन-पत्र, आयकर विवरणी, आयकर रिटर्न/संगठन भुगतान के विवरण की प्रति संलग्न करें)

____

6. संगठनों के नाम, संपर्क व्यक्ति का नाम, संपर्क विवरण और प्रत्येक अनुबंध के लिए अनुबंध राशि के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान कैंटीन अनुबंधों का विवरण संलग्न करें।

7. सभी मौजूदा/वर्तमान कैंटीन अनुबंधों के लिए एक अलग विवरण प्रदान करें।

दिनांक: ________________

स्थान: ________________

पूर्ण नाम, अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(पिछले दो वर्षों के दौरान पिछले ग्राहकों की सूची (वर्तमान ग्राहकों के अलावा)

(इस जानकारी के बिना प्राप्त निविदाएं सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी जाएंगी)

क्र.सं.	ग्राहकों के नाम, पता और संपर्क नंबर	संपर्क व्यक्ति का नाम और फोन नंबर	एक समय में खानपान सेवाओं का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या	अनुबंध की अवधि	अनुबंध मूल्य प्रति माह	यदि कोई हो तो समाप्ति का कारण

वर्तमान ग्राहकों की सूची

(इस जानकारी और इसके समर्थन में दस्तावेजों के बिना प्राप्त निविदाओं को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा)

क्र.सं.	ग्राहकों के नाम, पता और संपर्क नंबर	ग्राहकों के फोन नंबर और वर्तमान कैंटीन का पता	अनुबंध की अवधि	खानपान सेवाओं का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या	अनुबंध मूल्य प्रति माह

मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए उपरोक्त पते पर टिक मार्क करें।

11. मेस/कैंटीन सेवाओं के लिए वित्तीय बोली का प्रपत्र

सामान्य/सांकेतिक मेस मेनू, समय के दौरान परोसने वाली मदों की सूची का उल्लेख किया गया है, अनुबंध अवधि के दौरान असीमित भोजन की आपूर्ति की जानी है।

दिन	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	गुरूवार	शुक्रवार	शानिवार	रविवार
नाश्ता	मदें: मूली/मेथी परांठा, दही, हरी चटनी, अंकुरित मूंग	मदें: डोसा, सांभर, चटनी, अंकुरित मूंग, कॉर्नफ्लेक्स	मदें: गोभी-प्याज-जीरा परांठा, हरी चटनी, अंकुरित चना, दही	मदें: पूरी, हलवा और फ्राइड चना मसाला	मदें: वड़ा/उत्तपम सांभर चटनी और कॉर्न फ्लैक्स, अंकुरित मूंग	मदें: सादा परांठा - टमाटर की सब्जी, अंकुरित मूंग	मदें: मिक्स परांठा, उबले चने के साथ प्याज टमाटर, धनिया मिक्स हरी चटनी
दोपहर का भोजन	चावल, चपाती, पीली दाल जीरा तडका, बंद गोभी, सलाद	चावल, चपाती, दाल फ्राई, लोकी/कद्दू, सलाद	चावल, चपाती, कढ़ी, सूखी न्यूट्री, सलाद	चावल, चपाती, अरहर दाल प्याज तडका, वेज-मंचूरियन, सलाद	चावल, रोटी, काली उड़द-चना दाल, बीन्स, सलाद	चावल, पूरी, छोले, मिक्स वेज, बूंदी रायता, मिक्स सलाद	फ्राइड राइस, चपाती, सांभर, पनीर भुरजी अंडा भुरजी, सलाद
स्नैक्स	अदरक चाय, खस्ता कचौरी- 2 , दूध (आधा गिलास)	तुलसी चाय, ब्रेड बोंडा, चटनी	अदरक चाय, 1- ब्रेड पकोड़ा, चटनी	इलाइची चाय, 1- समोसा, चटनी	लौंग चाय, चाट पापड़ी/मटर चाट	विशेष चाय, पोहा+ मिक्सचर	आधा गिलास दूध, जलेबी
रात का भोजन	जीरा राइस, मिक्स दाल, सफेद चना मसाला, सलाद	वेज बिरअर्थात, चपाती, अरहर दाल, अरबी/ पालक आलू, मिक्स सलाद	चावल, चपाती, हरी मूंग दाल, सेपू वड़ा और अंडा करी (2 पीस), मिक्स सलाद	खिचड़ी, चपाती, काला चना दाल, मिक्स वेज, सलाद, दही	फ्राइड राइस, चपाती, काला मसूर दाल, चिकन करी और मिर्च पनीर/ कढ़ाई पनीर, मिक्स सलाद	चावल, चपाती, दाल मखनी (1-मक्खन) मलाई कोफ़्ता, सलाद	वेज पुलाव, चपाती, राजमा, टोमैटो ग्रेवी सलाद

सदैव ब्रांडिड मदें (नाचे दिए गए अनेसार) का प्रयोग किया जाए। निर्दिष्ट ब्रांडिड मद का प्रयोग न करने पर उपयुक्त मौद्रिक दण्ड लगाया जाएगा

1. मक्खन-अमूल/मदर डेयरी पाश्चुरीकृत "अमूल डिलीशियस नहीं।
2. जैम - किसान या टॉप्स।
3. केचप - किसान, टॉप्स, या क्रीमिका।
4. मसाला - एमडीएच, बीएमसी, या कैच।

5. चावल - मेस समिति द्वारा अनुमोदित ब्रांडेड कंपनी का बासमती।

6. आटा - जैसा कि मेस समिति द्वारा अनुमोदित।

7. बेसन - जैसा कि मेस समिति द्वारा अनुमोदित।

8. तेल- फॉर्च्यून/न्यूट्रला: रिफाइंड सूरजमुखी/सोयाबीन तेल।

9. चाय बैग - ताजमहल या मेस समिति द्वारा अनुमोदित ब्रांड।

10. कॉफी - नेस्केफे, ब्रू, या टाटा।

11. अचार - एमटीआर या प्रिया या मेस समिति द्वारा अनुमोदित ब्रांड।

12. देसी घी- अमूल, ब्रिटानिया ब्रेड/पाव/बन-बॉन
    नमक- टाटा, कैप्टन कुक, या अन्नपूर्णा

13. दूध - मेस समिति द्वारा अनुमोदित जिसमे पानी की मात्रा निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं हो।

उपरोक्त ब्रांडों की अनुपलब्धता के मामले में आवश्यक किसी अन्य मद या उपरोक्त मदों में से किसी के ब्रांड का निर्णय मेस समिति और कैटरर द्वारा पारस्परिक रूप से किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

मात्राओं के विनिर्देश:

नाश्ता:

रोटी: 4 स्लाइस

दूध: 200 मिलीलीटर (कॉफी पाउडर या चाय बैग और चीनी के साथ)

मक्खन: 15 ग्राम, जैम: 20 ग्राम

अंकुरित सेम: असीमित

मुख्य मदें: असीमित

दोपहर का भोजन:

चावल: असीमित चपाती/परांठा/भठूरे आदि:

असीमित

सलाद: असीमित

मुख्य मदें: असीमित पनीर सब्जी:

50 ग्राम अंडे : 2

स्नैक्स:

चाय/कॉफी/दूध/शेक: 200 मिलीलीटर

समोसा/वड़ा (किस्में) /कटलेट: 2 (लगभग 20 ग्राम प्रत्येक) चाट पापड़ी/

वेज. पकोड़ा/फिंगर चिप्स: 30 ग्राम

चटनी/ केचप: असीमित

रात का खाना:

चावल (किस्में): असीमित

चपाती / परांठा / पूरी आदि :

असीमित सलाद: असीमित

मुख्य मदें: असीमित

वित्तीय बोली

परिशिष्ट 'क'

ऊपर नमूना मेन्यू का है, जिसे कैंटीन समिति बदल सकती है।

कुल दैनिक मेस दर (ऊपर दिए गए मेनू के अनुसार):: नाश्ता रुपए ---------------
--

दोपहर का भोजन रुपए --

शाम का नाश्ता रुपए --

रात का खाना रुपए --

कुल राशि

रुपए____
रुपए__________

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर

उपर्युक्त के अलावा, ठेकेदार द्वारा कुछ अन्य मदो की दरें भी उद्धृत कर सकता है। (आवश्यकता पड़ने पर): परिशिष्ट "ख" के अनुसार

न्यूनतम -1 (एल-1) का निणय औसत दरों के आधार पर निम्नानुसार लिया जाएगा.

i. मेस दर के लिए दरें, परिशिष्ट 'क' 60% (4 मदों की औसत दरें)
ii. परिशिष्ट "ख" 40% के लिए दरें (10 वस्तुओं की औसत दरें)

अनुलग्नक –ख

क्र.सं.	मेनू	न्यूनतम दर रुपए	निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दरें
01	**चाय/कॉफी**	रुपए 10/-	
02	**सामान्य दोपहर/रात्रि भोजन** • मिक्स सब्जी – मौसमी सब्जी (200 ग्राम) • दाल शुक्र/राजमा/छोले (200 ग्राम)	रुपए 30/-	

	• सादा चावल (200 ग्राम) • 4 चपाती • सलाद और अचार		
03	**नाश्ता** (2 **परांठा , दही , अचार , स्नैक्स , चाय/कॉफी**	रुपए 30/-	
04	**वेज थाली (विशेष)** • सब्जी – पनीर , सब्जी (200 ग्राम) • दाल फ्राई/राजमा/छोले (200 ग्राम) , • जीरा राइस/पुलाव (200 ग्राम) • रायता / दही (100 ग्राम), • 4 चपाती / **परांठा** • सलाद, पापड़ और अचार	रुपए 40/-	
05	**नॉन वेज थाली (स्पेशल)** • चिकन के तीन टुकड़े/मटन/ग्रेवी के साथ अंडा करी पुलाव/जीरा राइस (250 ग्राम) • चपाती / तंदूरी , रोटी / नान / पूरी (6) • सलाद • पापड़ • मिनरल वाटर	रुपए 50/-	
06	**शाकाहारी दोपहर/रात्रि भोजन (बुफे) (असीमित)** • दो सब्जी (एक मौसमी सब्जी (200 ग्राम) • एक शाही (पनीर/मलाई कोफ्ता/मशरूम/पनीर मटर (200 ग्राम) आदि) • दाल फ्राई (200 ग्राम) • पुलाव/जीरा राइस (200 ग्राम) • चपाती / तंदूरी, रोटी/ नान/ पूरी (4) • सलाद • पापड़ • अचार • रायता/सादा दही/दही भल्ला (100 ग्राम) • मिष्ठान • मिनरल वाटर	रुपए 100/-	